



राजस्थान RAJASTHAN

561269



पट्टा पंजीयन

Stamp 10000 X 2 = 20000/-


पट्टा संख्या 101, दिनांक 25.12.2012 कार्यालय नगरपालिका नीमकाथाना सीकर (राज.), राजस्थान नगरीय क्षेत्र कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा ओर आंवटन (नियम 2012) के नियम 22 के अर्न्तगत भूमि का पट्टा विलेख नगरपालिका नीमकाथाना प्रथम पक्ष के नाम से जाना जावेगा एवं मांडिया शिक्षा समिति नीमकाथाना जरिये सचिव श्री महेन्द्रसिंह मांडिया पुत्र श्री बनवारी लाल मांडिया जाति अहीर व्यवसाय : निजी व्यवसाय निवासी ढाणी हेमावाली तन गोड़ावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.) द्वितीय पक्ष के नाम से जाना जावेगा जो प्रशासन शहरों के संग अभियान नियमन शिविर 2012 योजना पेरफेरी क्षेत्र राजस्व ग्राम गोड़ावास के खसरा संख्या 227/731/3 क्षेत्रफल 4887.75 वर्गगज भूखण्ड का 8 वर्षिय लीज शुल्क 2,34,612/-रूपयें एवं विकास शुल्क 2,44,388/-रूपयें इस प्रकार योग 4,79,000/-रूपयें प्राप्त कर उक्त भूखण्ड का पट्टा संस्थानिक (शिक्षण) प्रयोजन के लिए जारी किया गया है। पट्टे में अंकित शर्तों की पालना बहक पट्टाधारी द्वितीय पक्ष के द्वारा की जावेगी। संलग्न पट्टा अध्यक्ष एवं अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका नीमकाथाना द्वारा वाद जांच कर नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है।

लगातार 2

21/12/12
अधिकाारी
नगरपालिका नीमकाथाना

Secretary
Mandya Shiksha Samiti
Neemkathana Siker (Raj.)





राजस्थान RAJASTHAN

561270

11211

उक्त पट्टा मय संलग्न नक्शा का पट्टा पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

नियमानुसार उक्त पट्टा का पंजीयन फरमाया जावे। फीस 50/-


दिनांक : 28.12.2012


स्थान : नीमकाथाना

पत्र संख्या 110/2012

नीमकाथाना (सीकर) जिला

हस्ताक्षर निष्पादनकर्ता


SECRETARY
Mandya Shiksha Samiti
Neemkathana Sikar (Raj.)


अधीनस्थ अधिकारी
राजस्थान सरकार

हस्ताक्षर गवाहान

1. रोहिताश यादव पुत्र श्री सांवलराम यादव उम्र 40 साल
कौम अहीर निवासी मांकड़ी तहसील नीमकाथाना
जिला सीकर (राज.)

2. फूलचन्द यादव पुत्र श्री हनुमान प्रसाद यादव उम्र 50
साल कौम अहीर निवासी डाबर, भूदोली रोड, तहसील
नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

3. उम्रेद सिंह पुत्र श्री गणपतराम यादव
उम्र 40 साल नि. मांकड़ी तहसील
नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)



कार्यालय नगरपालिका नीमकाथाना
जिला-सीकर (राजस्थान)

पट्टा क्रमांक:- 101
दिनांक: 25/12/2012



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2012 के माह दिसम्बर के 25 (पच्चीसवें) वे दिन नगरपालिका


नीमकाथाना (जिन्हें इसके बाद नगरपालिका नीमकाथाना कहकर संबोधित किया गया है) प्रधानमंत्री मांडिया शिक्षा समिति नीमकाथाना जरिये सचिव श्री महेन्द्रसिंह मांडिया पुत्र श्री ब्रजमोहन मांडिया जाति- अहीर, व्यवसाय: निजी व्यवसाय, निवासी ढाणी हेमावाली तन गोड़ावास, पोस्ट-0 नीमकाथाना, जिला-सीकर (राज0) (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्याहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्ताजिल अर्थात् सिद्ध सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख सांक्ष्यिकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगें, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना पैराफेरी क्षेत्र राजस्व ग्राम गोड़ावास के खसरा संख्या 227/731/3 क्षेत्रफल 4887.75 वर्गगज में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात:-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम(1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 2,34,612/- अंकेही दौ लाख चौतीस हजार छः सौ बारह रू0 मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) को राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टा की अवधि:- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगें।
उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल संस्थानिक (शिक्षण) प्रयोजन, जिसके लिए नगरनिकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगरनिकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगें।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगें। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी: परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

25/12/2012
अभिशाषी अधिकारी
नगर पालिका नीमकाथाना

उप-पञ्जीयक
नीमकाथाना (सीकर)



8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति को प्रति-व्यक्ति प्रति-वर्ष या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आबंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आबंटन या पट्टा विलेखविधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आबंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सम्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड की सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/ एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : नीमकाथाना
 राजस्व ग्राम : नीमकाथाना
 खसरा संख्या : 227/731/3
 योजना का नाम : पैराफेरी क्षेत्र
 विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्ग गज/मीटर 4887.75
 (चार हजार आठ सौ सत्तासी पोईट पिचेहत्तर वर्गगज)
 इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दश में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
 नगरपालिका की ओर से

पूर्व संलग्न नक्शे पश्चिम संलग्न नक्शे भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो..... सीमा उत्तर संलग्न नक्शे दक्षिण संलग्न नक्शे के अनुसार मानचित्र संलग्न है।

आज सन् 2012 के माह दिसम्बर के 25 वें दिन श्री केशवदेव मोदी व श्री रविन्द्र सिंह ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये:-
 साक्षी :-

(Signature)
 अध्यक्ष
 नगरपालिका नीमकाथाना

(Signature)
 अधिशासी अधिकारी
 अधिशासी अधिकारी नीमकाथाना
 नगरपालिका नीमकाथाना

1. नाम श्री प्रहलादराय यादव
 पुत्र श्री रामेश्वरलाल यादव
 व्यवसाय वरिष्ठ लिपिक, न0पा0 नीमकाथाना
 निवास स्थान नगरपालिका नीमकाथाना

(Signature)
 साक्षी

2. नाम श्री ब्रजमोहन सैनी
 पुत्र श्री प्रभूदयाल सैनी
 व्यवसाय सब नाकेदार न0पा0 नीमकाथाना
 निवास स्थान नगरपालिका नीमकाथाना

(Signature)
 साक्षी

आज सन् 2012 के माह दिसम्बर के 25 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त मांडिया शिक्षा समिति नीमकाथाना जरिये सचिव श्री महेन्द्रसिंह मांडिया पुत्र श्री बनवारीलाल मांडिया लीजधारक द्वारा कार्यालय न0पा0 नीमकाथाना में हस्ताक्षर किये गये।
 साक्षी :-

(Signature)
 लीजधारक-द्वितीय पक्ष

1. नाम *(Signature)*
 पुत्र *(Signature)*
 व्यवसाय *(Signature)*
 निवास स्थान *(Signature)*
 तह- *(Signature)*

(Signature)
 साक्षी

2. नाम *(Signature)*
 पुत्र *(Signature)*
 व्यवसाय *(Signature)*
 निवास स्थान *(Signature)*
 तह- *(Signature)*

(Signature)
 साक्षी



(Signature)
 उप पंजीयक
 नीमकाथाना (सीकर)

NAGAR PALIKA NEEM KA THANA (SIKAR)

MANDIYA SHIKSHA SAMITI NEEM KA THANA

DIST. :- SIKAR (RAJ.)
LAND AREA (Sq.Yd.) :- 4887.75
PATTA NO. :- 101/25-12-2012
SCALE :- 1" = 40"


उत्तर दिशा





शामिल रहे।
उप पंजीयक नीमकाथाना



कनिष्ठ अभियन्ता
नगरपालिका नीमकाथाना


अध्यक्ष
नगरपालिका, नीमकाथाना


अभिशाही अधिकारी
नगरपालिका, नीमकाथाना


डिज़िटल डिज़ाइन कंसल्टेंट्स
DIGITAL DESIGN
CONSULTANCY PVT LTD